दिनांक 14.08.2024
प्रेस विज्ञप्ति 19/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा ''विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस'' के अवसर पर बैंक आफ बडौदा द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का किया गया उद्घाटन

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 14.08.2024 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार में **''विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस''** के अवसर पर बैंक आफ बडौदा द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत प्रोत इस कार्यक्रम को पुलिस मुख्यालय में आयोजित किये जाने के लिए बैंक आफ बडौदा के अधिकारियों को बधाई देते हुए अपने उद्बोधन में कहा गया कि भारतीय स्वाधीनता का इतिहास जिन संघर्षों और बलिदानों से भरा हुआ है उसकी मिशाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उससे एक दिन पूर्व एक ऐसी घटना हुई जिसकी वेदना आज भी हमारे जन मानस में विद्यमान है । 14 अगस्त 1947 को आजाद भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप विश्व ने अब तक का सबसे बड़ा मानव पलायन देखा। लाखों परिवार अपनी मिट्टी से दूर हो गए। आज के दिन हम उन्हीं ज्ञात और अज्ञात लोगों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

आयोजन के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के लखनऊ अंचल के अंचल प्रमुख महाप्रबंधक श्री समीर रंजन पंडा अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं बैंक आफ बडौदा के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Bank of Baroda
भारत सरकार
विभाजन विभीषिका
स्मृति दिवस
14 अगस्त, 2024
प्रदर्शनी

भारत सरकार
विभीषिका
अगस्त, 2024

जनपद बुलन्दशहर/थाना अगौता

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 14.08.2024 को थाना अगौता व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अगौता बम्बा पटरी के पास दो पहिया सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जुल्लफ उर्फ जुल्फिकार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 32 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अगौता पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अगौता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जुल्लफ उर्फ जुल्फिकार निवासी खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना तमकुहीराज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 13/14.08.2024 को थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुन्नीपट्टी नहर पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशो को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इसराफिल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानो में गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना तमकुहीराज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तमकुहीराज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इसराफिल निवासी नरहवा शुकुल तकिया थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद आजमगढ़/थाना मुबारकपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 14.08.2024 को थाना मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दरियाबाद पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कर्रार हैदर उर्फ इरफान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कर्रार हैदर उर्फ इरफान निवासी नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना बलदेव

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिऱफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 25 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **चोरी करने के उपकरण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 13/14.08.2024 को थाना बलदेव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यमुना एक्सप्रेस—वे ग्राम दौलतपुर अण्डरपास के पास बदमाशों

की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रामेश्वर 2–इन्द्रपाल उर्फ छिगा घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–हरिकान्त 4–महेन्द्र 5–रामचन्द्र 6–विवेक उर्फ सुनील सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 25 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी करने के उपकरण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना बलदेव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामेश्वर निवासी पारोली सिकरवार थाना फतेहाबाद कमिश्नरेट आगरा।

2–इन्द्रपाल उर्फ छिगा निवासी झोरियन थाना पिनाहट कमिश्नरेट आगरा।

3–हरिकान्त निवासी पारोली सिकरवार थाना फतेहाबाद कमिश्नरेट आगरा।

4–महेन्द्र निवासी झोरियन थाना पिनाहट कमिश्नरेट आगरा।

5–रामचन्द्र निवासी झोरियन थाना पिनाहट कमिश्नरेट आगरा।

6–विवेक उर्फ सुनील निवासी झोरियन थाना पिनाहट कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 25 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–चोरी करने के उपकरण।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

- **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना मिर्जापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–हैदर अली 2–वीरपाल को धारा 148/302/149 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 3–बृजनंदन को धारा 148/302/149 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सुलतानपुर/थाना दोस्तपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना दोस्तपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0गुलाम रसूल को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————